पत्रांक–03/ना0सु0–22–37/2025 न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
* द्वारा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या–539 दिनांक–28.03.2026 अंतर्गत व्यय की स्वीकृति को रद्द करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय राज्यादेश संख्या–539 दिनांक–28.03.2026 द्वारा राज्य के 06 नगर निगम, यथा छपरा, दरभंगा, गयाजी, मुंगेर, पूर्णियाँ एवं सहरसा क्षेत्रान्तर्गत सी0सी0टी0वी0 कैमरा तथा ट्रैफिक सिग्नल का अधिष्ठापन हेतु राशि ₹14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़ रू0) मात्र सहायक अनुदान के रूप में बेल्ट्रॉन को राशि आवंटित किया गया था। उक्त राशि की निकासी कतिपय कारणों से कोषागार से नहीं हो पाई।

2 अतः विभागीय राज्यादेश संख्या–539 दिनांक–28.03.2026 द्वारा आवंटित राशि के व्यय की स्वीकृति को रद्द किया जाता है।

3 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/ना0सु0–22–37/2025 4880 /न०वि० एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 30/4/26

प्रतिलिपिः प्रमंडलीय आयुक्त, सभी प्रमंडल/महाप्रबंधक (परियोजना), बेल्ट्रॉन/जिला पदाधिकारी, सारण, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णियॉ एवं सहरसा/ नगर आयुक्त, नगर निगम यथा छपरा, दरभंगा, गयाजी, मुंगेर, पूर्णियॉ एवं सहरसा/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\COMPUTER-3 BUDA\Section-4\Tinku jee\DD II.doc 1065